187

संख्या-160/एक–10-2024-33(19)/2022

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 10/02/2024

विषय- उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति, ***2020*** के अन्तर्गत प्रदेश में गोताखोरों एवं नाविकों को सेफ्टी किट क्रय कर वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49/आपदा-तेरह/बजट डिमाण्ड/2023, दिनांक 30.05.2023 एवं पत्र संख्या-287/आपदा-तेरह/बजट डिमाण्ड/2024, दिनांक 15.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गुप्ता सप्लाईंग कारपोरेशन, मरियाहु,, जौनपुर के प्रार्थना-पत्र दिनांकित 10.04.2023 के परिपेक्ष्य में इन्कम टैक्स एवं जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 2,13,809 का बजट उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति, 2020 के अन्तर्गत प्रदेश में गोताखोरों एवं नाविकों को सेफ्टी किट क्रय कर वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में निर्गत शासनादेश 15/एक-10-202333(19)/2022 दिनांक 13.01.2023 द्वारा जनपद बहराईच को कुल रू0 35,43,035/- का आवंटन किया गया था। उक्त प्रकरण में गुप्ता सप्लाईंग कारपोरेशन, मरियाहु, जौनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2023 के परिप्रेक्ष्य में इन्कम टैक स एवं जी0एस0टी0 की धनराशि कुल रू0 2,13,809/-, जिसकी कटौती की जा चुकी है, का नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु रू0 2,13,809/- जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त–

पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) इमरजेन्सी रिस्पॉन्डर किट के क्रय की प्रक्रिया में कमान्डेण्ड एस0डी0आर0एफ0 को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(9) अनुमोदित कार्य योजना के अंतर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का क्रय एक साथ चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रु0 2,13,809/- (रू0 दो लाख तेरह हजार आठ सौ नौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by
शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
Date: 16-02-2024 12:59:26
Reason: Approved

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्याः- 160(1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0 ।

2- राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- सेनानायक, राज्य आपदा मोचक बल (एस0डी0आर0एफ0), लखनऊ, उ0प्र0।

5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।

6 विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0।

7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

8- सम्बन्धित कोषाधिकारी ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-15/02/2024

प्रेषण संख्या:- 160
आवंटन आदेश संख्या:- 001-160
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	213809 5352409	213809 5352409
	योग	वर्तमान प्रगामी	213809 5352409	213809 5352409

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख तेरह हजार आठ सौ नौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरेपन लाख बावन हजार चार सौ नौ

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन